

Regarding stopping of Bulldozer action in Uttar Pradesh

श्री राजीव राय (घोसी) : सभापति महोदया, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बहुत पीड़ा में खड़ा हूँ। मैं घोसी लोक सभा क्षेत्र से चुन कर आया हूँ। शायद मेरा गुनाह यही है कि पूर्वांचल के इतिहास में मेरी जीत सबसे बड़ी रही है।

मैडम, मैं पीड़ा में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ सुनवाई नहीं है। मेरी एक बात से पक्ष या विपक्ष, दोनों के माननीय सदस्य सहमत होंगे। मैंने जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा कि जिन जिलास्तरीय मीटिंग में सांसद की उपस्थिति अपेक्षित हो, ऐसी मीटिंग्स को सदन के सत्र के दौरान न रखा जाए। अधिकारी सुनते नहीं हैं। मीटिंग इसलिए होती है कि जब जनता पर जुल्म हो या उन्हें कोई परेशानी हो, तो उस बात को उस मीटिंग में रखा जा सके।

हमारे यहाँ दलितों और मुसलमानों के घरों को चिन्हित कर के चार सौ मीटर में लगातार बुलडोज़र चलाने का काम हो रहा है। हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। हमारी पीड़ा यह है कि हम तीन-तीन सांसद और पांच-पांच विधायकों के साथ डेलिगेशन ले कर गए, लेकिन कोई अधिकारी घटना स्थल पर नहीं आया, एक सिपाही तक नहीं आया। मैं जब पिछली बार वहाँ गया तो उसके पहले मीटिंग रख दी गई। इस बार मैं रिटन में दे कर आया हूँ और मुझे फोन आता है, तब मैंने कहा कि महीने की जो मीटिंग है, ज़रूरी तो नहीं है कि 22 तारीख से ही हो। हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या है। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य जी, आप जो माँग रखना चाहते हैं, वह माँग रखिए।

? (व्यवधान)

श्री राजीव राय : महोदया, पहले मैं अपनी बात कह लेता हूँ, उसके बाद अपनी माँग रख देता हूँ। ? (व्यवधान) मेरी माँग एक ही है कि हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या है, गांव के गांव मधुबन इलाके में डूब रहे हैं, कटान है, हमारे यहाँ बुलडोज़र चल रहे हैं। सांसदों से जनता अपेक्षा करती है कि उनकी बात कही जाएगी, लेकिन प्रशासन नहीं सुनता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कम से पीठ से और संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जिले के अधिकारियों को निर्देश दे दिया जाए, जो कि पहले से है कि बार-बार अगर आप विपक्ष के सांसद को जानबूझकर बैठक में नहीं बुलाते हैं तो यह स्थिति ठीक नहीं है और बुलडोज़र की कार्यवाही बंद होनी चाहिए। ? (व्यवधान)